भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5905
उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026
9 चैत्र, 1948 (शक)

खेल अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता

5905. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और महाविद्यालयों को खेल अवसंरचना के विकास और खेल उपस्करों की खरीद के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रदान की गई निधियों सहित तत्संबंधी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने विद्यालयों और महाविद्यालयों को ऐसे अनुदान प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का प्राथमिक शिक्षा स्तर से खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई नीति लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ड.) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना के विकास और खेल उपकरणों की खरीद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, अनुदानों की स्वीकृति और उसे जारी करने, लाभार्थी संस्थानों की पहचान करने, वित्तीय सहायता के लिए मानदंड निर्धारित करने तथा प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में

सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों और महाविद्यालयों सहित देश में खेलों के संवर्धन हेतु निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है, जो खेल अवसंरचना के विकास, खेल उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण और अन्य खेल-संबंधी सुविधाओं के विकास को भी समाहित करती हैं:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसडीएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन;
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान एंव अनुसंधान केन्द्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। खेलो इंडिया स्कीम अपने आवंटित बजट के अंतर्गत पूरे देश की गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती है।

खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों सहित देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमशः mdsd.kheloindia.gov.in और nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत स्कीम, समग्र शिक्षा के माध्यम से, खेल और शारीरिक शिक्षा सहित समग्र बाल विकास के साथ-साथ समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, देश भर के सरकारी स्कूलों को खेल उपकरण खरीदने

के लिए वार्षिक वित्तीय अनुदान मिलता है, जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,000, उच्च प्राथमिक के लिए ₹10,000 और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹25,000 है। इसके अतिरिक्त, यदि कम से कम दो छात्र खेलो इंडिया गेम्स जिससे प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा मिलता है, में पदक जीतते हैं, तो स्कूल ₹25,000 तक के अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्र होते हैं।
